

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय-आदेश**

राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पदों पर संलग्न सूची में अंकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित दिनांक/कार्यग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम -17 के अनुसार लेवल-11 में उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर काउंसिलिंग से आवंटित पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.04.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्मिक द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 26.04.2021 तक अनिवार्यतः भिजवा दें तथा संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।


संबंधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष कार्मिक से निम्नांकित घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करावेंगे।

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) डीओपी/ ए-11/95 दिनांक 20-06-2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं है।
- आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाये विपरीत स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
- संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में गणित ऐच्छिक विषय एवं बीएड योग्यता रखते हैं, प्रमाणन हेतु उक्त विषय में स्नातक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावेंगे एवं उक्त विषय में पदोन्नति की सूचना संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकित करेंगे। यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जॉच चल रही है / निलम्बित हो / न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओ/ कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनके कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गये हैं तो इनके परिवर्तित / वर्तमान स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

अयोग्य / अपात्र कार्मिकों की सूचना तत्काल रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	मण्डल मिश्रित क्रमांक	मण्डल वर्ष	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जिला	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	चयन तिथि की शिक्ति के विरुद्ध किया	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	1869	12-13	हंसा मीणा	राउमावि सलैमपुर खुर्द	दौर	BPR	02-12-1986	ST	ST	01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUNDRAWLI (217007), NAGAR	BHARATPUR
2	721	2014-15	मुकुट बिहारी लाल	राउमावि हल्दे का पुरा	बाडी	DLP	31/12/1986	SC	SC	01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARETHA (211731), DHOLPUR	DHAULPUR



(रिपुसुदन) 10-4-21  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर  
दिनांक :- 10-04-2021

क्रमांक:- सं०नि/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-1/फा-पदो०/व०अ०/गणित/2020-21/ 25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
- उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप-2 शासन सचिवालय जयपुर
- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर / धौलपुर/ करौली एवं सवाईमाधोपुर
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक .....
- संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
- सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- संबंधित पीईईओ / संस्था प्रधान
- संबंधित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली
- नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय

  
10-4-21  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशप्तानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पदों पर संलग्न सूची में अंकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित दिनांक/कार्यग्रहण करने की तिथी से नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम -17 के अनुसार लेवल-11 में उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर काउंसलिंग से आवंटित पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.04.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्मिक द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 26.04.2021 तक अनिवार्यतः भिजवा दें तथा संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष कार्मिक से निम्नांकित घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावेंगे।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) डीओपी/ ए-11/95 दिनांक 20-06-2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं है।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाये विपरीत स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
3. संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय एवं बीएड योग्यता रखते हैं, प्रमाणन हेतु उक्त विषय में स्नातक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्त सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावेंगे एवं उक्त विषय में पदोन्नति की सूचना संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकित करेंगे। यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनके कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गये हैं तो इनके परिवर्तित/वर्तमान स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

अयोग्य/अपात्र कार्मिकों की सूचना तत्काल रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को सूचित करेंगे।

संलग्न :- आदेश -1

(रिपुसुदन)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक :- 10-04-2021

क्रमांक:-सं0नि/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-1/फा-पदो0/व0अ0/अंग्रेजी/2020-21/ 26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप-2 शासन सचिवालय जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर /धौलपुर/करौली एवं सवाईमाधोपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक .....
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
7. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
8. संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान
9. संबंधित कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली
11. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

ने/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-1/फा-पदो/व0अ0/अंग्रेजी/2020-21/26

दिनांक 10.04.2021

डीपीसी वर्ष 2020-21 (वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी) आदेश संख्या - 1

क्र० सं०	मण्डल मिश्रित क्रमांक	मण्डल वर्ष	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जिला	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	चयन तिथि की रिकॉर्ड के विरुद्ध किया	पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान	जिला
1	976	98-04	तबरसुम आरा	राउमावि अरनिया	गंगापुर सिटी	SWM	06-03-75			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHERLI (212729), BAMANWAS	S.MADHOPUR
2	289	04-07	कनकलता सीठा	महात्मागांधी रा०वि० (अंग्रेजी माध्यम) साहूनगर	सवाई माधोपुर	SWM	03-09-80			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUMEL (212747), BAMANWAS	S.MADHOPUR
3	4142-A	71-97	महेन्द्र कुमार गुप्ता	राप्रावि नदी बरखेडा हाल सीबीईओ दूदू जयपुर	करौली	KA	20-06-68			01-04-20	SHAHEED SIYARAM GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TESGAON (212643), NADOTI	KARAUJI
4	4565	71-97	विनोद कुमार	राबाउमावि मनीरियाँ	धौलपुर	DLP	04-09-69			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADRIKA (211744), SAIPAU	DHAULPUR
5	5332	71-97	अशोक कुमार	राउमावि कटारा	नदबई	BPR	07-01-63			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARIGHA ROOPWAS BHARATPUR (217435), ROOPWAS	BHARATPUR
6	5911	71-97	अब्दुल वाहिद	राउमावि अहमदपुर अलीगंज	गंगापुर सिटी	SWM	11.09.72			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOHACHA (212830), GANGAPUR CITY	S.MADHOPUR
7	6226	71-97	विश्वजीतसिंह	राउमावि गुनसारा	कुम्हेर	BPR	06-06-66			01-04-20	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL JAGHINA (217194), SEWAR	BHARATPUR
8	6815	71-97	रामेश्वर सिंह	राउमावि मडौली	रूपबास	BPR	01-08-66			01-04-20	KESARI SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAHADI (217050), PAHADI	BHARATPUR
9	409	98-04	हरीकांत	राउमावि विपरपुर	धौलपुर	DLP	12-08-79	SC		01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KASIMPUR (211825), DHOLPUR	DHAULPUR
10	350	04-07	योगेन्द्र प्रसाद खान्दल	राउप्रावि सिवायगंज	चौध का बरवाडा	SWM	14-11-74			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDAWAR (217894), KHANDAR	S.MADHOPUR
11	362	04-07	हरगोपाल	राउमावि रजौराकला	सैपड	DLP	12-01-76			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOVINDPURA (217338), WEIR	BHARATPUR
12	370	04-07	सुनील कुमार	राप्रावि० नगला तेजा	बयाना	BPR	15-08-76			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARAHMAFI (217446), ROOPWAS	BHARATPUR
13	381	04-07	श्री प्रमोद कुमार	राउप्रावि. चक हथकौली	सेवर	BPR	05-07-77			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PRAJAPAT MOHALLA DHAURMUI (217188), SEWAR	BHARATPUR
14	391	04-07	भगवती प्रसाद	महात्मा गाँधी रा०वि० (अंग्रेजी माध्यम) पुरानीछावनी	धौलपुर	DLP	20-07-78			01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MACHHARIYA (211810), RAJAKHERA	DHAULPUR
15	403	04-07	दिनेश चंद	राउमावि बैलाराकला	कुम्हेर	BPR	20-07-79			01-12-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAKHA KUMHER (217118), KUMHER	BHARATPUR

  
(रिपुसूदन)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

10-4-21